विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 154 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 928 तारांकित द्वारा श्रीमती भावना बोहरा, विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 928 **तारांकित** की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.07.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक / / 2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **प्रदेश में तीन माह के चावल का एकमुश्त वितरण**

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : **928)** **श्रीमतीभावना बोहरा**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) राज्य में तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य कितना है? एवं जून, 2025 तक इसमें से कितने फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है? वितरित व निर्धारित राशन की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या सहित जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु तय दिनाँक तक निर्धारित लक्ष्य का सौ फीसदी वितरण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या उक्त हेतु तय समय सीमा में वृद्धि की जावेगी? (ग) तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण के लिए राशन की उपलब्धता एवं भण्डारण हेतु विभाग की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? जिन स्थानों पर पर्याप्त गोदाम या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है एवं वितरक दुकानों की भी संख्या सीमित है, ऐसे स्थानों हेतु क्या व्यवस्था/प्रयास किये गये हैं? (घ) राशन वितरण के दौरान आने वाली तकनीकी समस्या, भण्डारण की समस्या, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, वितरक द्वारा लापरवाही आदि आमजन की समस्याओं हेतु क्या शिकायत मंच/ ई-पोर्टल की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी शिकायते प्राप्त हुई है एवं कितनी शिकायतों का निवारण किया जा चुका है? आवेदनों की कुल संख्या व निवारण की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी देवें?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

समस्त कले.
कॉल सेन्टरं